# कार्यालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

ई–मेल :–sdm.bagodar-jhr@gov.in

## –:: भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत् निषेधाज्ञा आदेश ::–

वाद संख्या 46/25

ग्राम– लुतियानों के वार्ड सदस्य– कोशली देवी, मन्जु देवी एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय लुतियानों के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष– श्री डालेश्वर महतो द्वारा आवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि सरिया अंचल अंतर्गत ग्राम लुतियानो, मन्दरामों पश्चिमी के खाता नं0– 195, प्लॉट नं0– 2551, कुल रकबा– 7 एकड़ 50 डी0 जमीन जो सार्वजनिक आम गैरमजरूआ जमीन है उक्त भूमि पर (1) पुरन महतो, पिता– सोमर महतो, साकिन– लुतियानों, पो0– मन्दरामों, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह द्वारा बाजबरन अतिक्रमण किया जा रहा है जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना है।

उपरोक्त कारणों से संतुष्ट होकर **मैं, संतोष गुप्ता, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया** भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भूमि पर निषेधाज्ञा जारी करता हूँ तथा आदेश देता हूँ कि :–

| मौजा | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकबा |
|---|---|---|---|
| लुतियानों | 195 | 2551 | 7 एकड़ 50 डी0 |

1. यह निषेधाज्ञा सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगा;
2. निषेधाज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त भूमि पर पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने/लाठी भाला/पारंपरिक अस्त्र–शस्त्र के साथ एकत्रित होने पर रोक लगायी जाती है; (यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी/पुलिस पदाधिकारी एवं कर्त्तव्य पर तैनात पुलिस बल पर लागू नहीं होगा)
3. उक्त भूमि पर किसी प्रकार के निर्माण कार्य पर पूर्ण रूपेन रोक लगाई जाती है;
4. यह आदेश कार्यावधि के दौरान पुलिस बल, अर्धसैनिक बल द्वारा शस्त्र लेकर चलने पर प्रभावी नहीं होगा,

**यह आदेश आज दिनांक 30/3/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया जो अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।**

30/3/25

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

ज्ञापांक 116 / दिनांक 30/3/25

प्रतिलिपि : पक्षकार– (1) पुरन महतो, पिता– सोमर महतो, साकिन– लुतियानों, पो0– मन्दरामो, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 11.4.2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, सरिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए निषेधाज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

न्यायालय दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया

30/3/25

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

30/3/25

| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 11-4-25 | द्वितीय पक्ष के पुरन महतो उपस्थित। मौजा लुतियावो के बजाय मंदरामो करने का आग्रह द्वितीय पक्ष के द्वारा किया गया। ~~स्वीकृत~~। द्वितीय पक्ष जवाब दाखिल करें। अगली तिथि 25/4/25 (हस्ताक्षर) 11/4/25 | |
| 25/4/25 | प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष जवाब दाखिल करने हेतु समय की मांग करते हैं। स्वीकृत। To 09/5/25 (हस्ताक्षर) 25/4/25 | |
| 09/5/25 | प्रथम पक्ष अनु०। द्वितीय पक्ष उपस्थित। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 23/5/25 को रखें (हस्ताक्षर) 9/5/25 | |
| 23/5/25 | प्रथम पक्ष अनु०। द्वितीय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा तथा राजस्व दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किया गया। आदेश हेतु (हस्ताक्षर) 23/5/25 | |

| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **आदेश** (वाद सं· 44/25) (भा·ना·सु·सं· की धारा 163 के तहत) | |
| 23/8/25 | ग्रामीण जनता लुतियानो के जन आवेदन पर लोक परिशांति भंग होने की संभावना पर अधोहस्ताक्षरी के स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित भूमि पर भा·ना·सु·सं· की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया गया तथा सभी पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया।<br><br>विवादग्रस्त भूमि का विवरण<br>मौजा - लुतियानो, खाता नं· 195<br>थाना - सरिया, प्लॉट नं· 2557<br>रकबा - 7.50 एकड़<br><br>नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की गई।<br>उक्त भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे पुरन महतो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना कारण पृच्छा दाखिल किया।<br>कारण पृच्छा में पुरन महतो कहते हैं कि वादग्रस्त भूमि मौजा मंदरामो, अंचल-सरिया के खाता सं· 195<br><br>जारी | |

| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 23/5/25 | प्लॉट न. 2551/4526 रकबा 43 डी० मध्ये रकबा 6 डी० एवं प्लॉट न. 2551/4527 रकबा 37 डी० मध्ये 05 डी० उनके पूर्वज डोमन महतो को हुकुमनामा बन्दोबस्ती से हासिल है तथा उक्त भूमि की जमाबन्दी मांग पंजी II के पृष्ठ सं. 364 Volume No. 1 पर कायम है।<br><br>उपरोक्त कारण पृच्छा तथा संलग्न राजस्व कागजातों के अध्ययन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रस्तुत विवादग्रस्त भूमि गैर मजरूआ खाते की है अत: अंचल अधिकारी सिल्ली को आदेशित किया जाता है कि उक्त जमाबन्दी की वैधता की सूक्ष्मता से जाँच करेंगे तथा जमाबन्दी अवैध पाए जाने पर झारखण्ड भूमि सुधार अधि० की धारा 4(h) के तहत विहित कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे।<br><br>उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।<br><br>आदेश की प्रति जारी | |

| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | द्वितीय पक्ष, अंचल अधिकारी सरिया, थाना प्रभारी सरिया तथा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगोदर-सरिया को भेजें। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 23/05/25 अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर सरिया (हस्ताक्षर) 23/05/25 अनु० पदा० बगोदर-सरिया | |

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.06.01 11:34:33 +05:30
Location: 192.168.137.1